

40. एस्टेट्स सेवन समर्थक प्रारंभिक। आर बन्द गोमन्त उत्पाद गोमन्त शास्त्री।
 41. लाण्डू और बुलाई अधिकारी।
 42. निलदसांगी।
 43. कोल्ड स्टोरेज।
 44. गाटरी लिंगिक्स या रिफरेंड्राइज।
 45. निजी भविष्यालय।
 46. रिमान उद्योग।
 47. फारम चामड़।
 48. फिल्म उद्योग।
 49. गोल्डिंग आयुर्विज्ञ यूथानी पार्मसी।
 50. घोड़।
 51. हायकर्डिंग(सिल्क ली गोमी की चुनाई) घोड़ी की काग़ी।
 52. कपड़ा घोन या प्रसाधन के साथुन या सिलिकेट या साथुन का चूर्ण या प्रसाधन की मिर्च।
 53. घोनी कम्बल बनाने के अधिकारी।
 54. खापड़शारी।
 55. हयकर्डिंग उद्योग।
 56. जाइन चालित कर्द्या उद्योग।
 57. झोटा(मिनीएसर) बल्ब एडग कोच उत्पाद की निर्माण।
 58. कागज गत्ता और पेपर शोर्ट उद्योग।
 59. ईट बट्टा उद्योग।
 60. गोला उद्योग के नियोजन में।
 61. पीतल के बत्तों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62. किसी निजी सुरक्षा और सेक्युरिटी प्रदानी अधिकारण में नियोजित सुरक्षा लोर्मी(सुरक्षा कर्मियों) विनम्र हथियार सहित/इंजियर रहिं आदि कर्मी समिलित हों।
 63. बुहरन और सकाइ ने नियोजन जिसमें रोपाई भूमेशी नियोजन एवं शुष्क सौख्यालयों का निर्माण(प्रतिपेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत हो विभिन्न किया-कलाप तमामिलित नहीं है।
 64. घरनूँ कामारी का लियाज़न।
 65. घरन्यूहर हाईड्रेट उद्योग एवं सेक्युरिटी में नियोजन।
 66. इलेक्ट्रोज़ी वितरण एवं सेक्युरिटी सेवाओं ने नियोजन।
 67. ईवेंज़ी, अटोरिक्सा/टैम्पो एवं ईवेंजिंग अधिकारण में नियोजन।
 68. कॉर्पिल आपरेटर एवं सेक्युरिटी सेवाओं में नियोजन।
 69. गैर चरकारी समर्थन(एस्टोज़ीओ) एवं सेक्युरिटी सेवाओं में नियोजन।
 70. विक्रम नवाहन(विक्रम नवर्बन)(सेक्युरिटी एवं सेक्युरिटी) अधिनियम 1976 के अवैन समिलित उधया तमामिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में में नियोजन।
 71. हेयर कंटिंग सेल्स(एवं शूटी चार्जर(पुरुष एवं महिलाय)) में नियोजन।
 72. काल सेन्ट्र/वाईटटी/इन्डस्ट्रीज़/टेलीकार्डिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 73. ऐसे उत्पादक जो किसी अनुशृंखल नियोजन के अधीन आधारित न हो, में नियोजन।

(सिवाराम)

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
 वृत्ति अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

प्र० २०२०-१३६२-८९ संख्या प्रबत्तन-(एम०डब्लू०)/१५ दिनांक ८/०८/२०२०

प्रतिलिपि-

- समर्त लेंडिंग अपर/उप अम आयुक्त, उ०२० को इस आशाय से ग्रेटित कि अधीनस्थ अधिकारियों वा अवगता कर्मचारी लघा अभियोग सामाजिका व ठनक प्रतिनिधियों हारा गांग जाने वा उपलब्ध कराए।
- अनुसन्धित उ०२०आयन, अम अनुमान-३ नियमक।
- सहायक निदेशक अम एवं रोजगार स्त्रालय,(वैज सेल) मारक शरकार नई ई-गेल wagecell@nic.in के माध्यम से अधिकारी निदेशक उद्योग बधु लखनऊ।
- उप अम आयुक्त(पाइ० आ०) सुख्यालय, कानपुर।
- अवर अम आयुक्त(काम्प्यूहर), सुख्यालय को समर्त लेंडिंग अपर/उप अम आयुक्त कोई दु-में के माध्यम से प्रेषित कराने सभा विभागीय नेटवर्क ईप्लाबर्य www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमाशु योग्य देनिक समाचार यत्रों को जन सामान्य वी जानकारी डेनु जनहिंल में निश्चल प्रकाशनार्थ।
- समर्त प्रगृह देनिक समाचार यत्रों को जन सामान्य वी जानकारी डेनु जनहिंल में निश्चल प्रकाशनार्थ।

(सिवाराम)

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
 वृत्ति अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

‘४४८० गणपूरा आधानयम—1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय पारवतनाय महगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम—1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या—194/36-3-2014-07 (न्यूयॉर्क) / 4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या—850/36-03-2019-931(न्यूयॉर्क) / 06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम से निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपमोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी 2020 से जून 2020 के औसत अंक 329 अंकों पर दिनांक 1.10.2020 से दिनांक 31.3.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भौति गणना करके देय होगा।

दृष्टान्त— रूपये—5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपमोक्ता मूल सूचकांक—329 पर दिनांक: 01.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा। (329—216)

X_5750= ₹0 3008/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत हैं—						
कर्मांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपये में		दिनांक: 1.10.2020 से 31.3.2021 तक	
			दिनांक: 1.4.2020 से 30.9.2020 तक	दिनांक: 1.10.2020 से 31.3.2021 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	2875.00	3008	8758	336.85
2	अधकुशल	6325	31.62.50	3309	9634	370.53
3	कुशल	7085	3542.50	3706	10791	415.04

नियोजन के नाम—

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिछान उद्योग।
- वासित पेयों (एसोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बोध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन सनस्त रजिस्ट्रीकॉर्ट कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- चर्म वर्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोविंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वानिकी (फारेस्ट्री)लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्ग, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकानों में
- वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।
- लोक मोटर परिवहन।
- यॉक्रिक परिवहन कर्मशाला।
- आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
- पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- विकन के कार्य।
- दियासलाई उद्योग।
- आइसकैण्डी/आइसकीम विनिर्माणशाला।
- बैकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
- बर्फ विनिर्माणशाला।